	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 11, मंगलवार, *शाके* 1944-जनवरी 31, 2023 *Magha 11, Tuesday , Saka 1944- January 31, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 31, 2023

जी.एस.आर.115.–राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक **एफ.8(3)/एफडी/एसपीएफसी/ विविध/सुलभ/2021** दिनांक 20-12-2022 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 20, 2022

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिश: बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफडी/ जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी के क्रम संख्यांक 59 के सामने स्तम्भ (2) में, विद्यमान मद (ख) और स्तंभ (3) और (4) में उसकी प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित नई मद (ग) और स्तंभ (3) और (4) में उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी,अर्थात.-

(ग) सरकारी भवनों में प्रसाधनों का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण कार्य	सुलभ अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन	1. सरकारी भवनों में प्रसाधनों के लिये प्राक्कलन, संबंधित बीएसआर के अनुसार तैयार किया जायेगा और कार्य के विनिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित समिति द्वारा दरें विनिश्चित की जायेंगी:- (i) प्रभारी सचिव, प्रशासनिक विभाग - अध्यक्ष (ii) संबंधित विभागाध्यक्ष- सदस्य (iii) संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का वित्त विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य (iv) संबंधित विभाग के अधीक्षण अभियंता से अनिम्न रैंक का अभियंता (यदि उपलब्ध है), यदि उपलब्ध नहीं हो तो सार्वजनिक निर्माण विभाग/ स्थानीय निकाय विभाग के अधीक्षण अभियंता से अनिम्न रैंक का अभियंता- सदस्य (v) संबंधित विभाग का वरिष्ठतम लेखा अधिकारी- सदस्य सचिव 2. निम्नलिखित समिति प्रसाधनों का अनुरक्षण, स्वच्छता को सुनिश्चित और मॉनिटर तथा विद्यमान प्रसाधनों के लिये अनुरक्षण प्रभारों को विनिश्चित करेगी:- (i) विभागाध्यक्ष- अध्यक्ष (ii) उपापन इकाई का कार्यालयाध्यक्ष- सदस्य (iii) संबंधित विभाग के अधीक्षण अभियंता से अनिम्न रैंक का अभियंता (यदि उपलब्ध है) यदि उपलब्ध नहीं हो तो सार्वजनिक निर्माण विभाग/ स्थानीय निकाय विभाग के अधीक्षण अभियंता से अनिम्न रैंक का अभियंता- सदस्य (iv) संबंधित विभाग का वरिष्ठतम लेखा अधिकारी- सदस्य सचिव **3**.सुलभ अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन, जिसे इसमें इसके पश्चात्संगठन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, को विनिर्दिष्ट सन्निर्माण कार्य की प्राक्कलित लागत के अतिरिक्त पर्यवेक्षण प्रभारों का 10 प्रतिशत संदत्त किया जायेगा।

		4. सन्निर्माण के प्रारंभ की तारीख की संगणना कार्य आदेश जारी करने की तारीख से की जायेगी। यदि संगठन कार्य को पूर्ण किये जाने की नियत कालावधि के भीतर आबंटित कार्य को पूर्ण करने में असफल रहता है, तो विभाग नियमों के अनुसार परिनिर्धारित नुकसानी, जो विलंबित सन्निर्माण लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत होगी, अधिरोपित करने के पश्चात्पूर्ण किये जाने की कालावधि बढ़ा देगा। 5. प्रसाधनों का अनुरक्षण, मरम्मत और स्वच्छता कार्य संगठन द्वारा 10 वर्ष के लिये किया जायेगा। अनुरक्षण प्रभार उपापन इकाई द्वारा संगठन को संदेय होंगे। 6. संबंधित विभाग संगठन के साथ इस संबंध में संविदा निष्पादित करेगा। 7. संविदा की शर्तों से उत्पन्न किसी विवाद के मामले में, सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

[**एफ.8(3)/एफडी/एसपीएफसी/विविध/सुलभ/2021**]

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.